119

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/सचिव/2007/DC-8/D-2140 दिनांक : 3.2.07

—: आदेश :—

निजी खातेदारों की अनुमोदित एवं स्वीकृत आवासीय योजनाओं में मौके की स्थिति/खातेदार द्वारा आवंटन के अनुसार क्षेत्रफल बढ़ने पर नियमन कर पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:—

1. बढ़े हुए क्षेत्रफल के नियमन के लिए सम्बन्धित जोन उपायुक्त को प्राधिकृत किया जाता है।
2. नियमन किये जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल निजी खातेदार द्वारा जारी आवंटन पत्र/मौके के स्थिति के अनुसार अनुमोदित मानचित्र से बढ़ने पर बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन जोन की प्रचलित आरक्षित दर के अनुसार राशि ली जा कर किया जावे।
3. भूखंण्ड का क्षेत्रफल अनुमोदित क्षेत्र की तुलना में 10 प्रतिशत तक (अधिकतम 50 वर्गगज तक) बढ़ा हुआ है तो उपायुक्त द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। इससे अधिक वृद्धि की स्थिति में प्रकरण निदेशक आयोजना के माध्यम से आयुक्त महोदय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

उक्त आदेश आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण से पत्रावली संख्या एफ–124/श्री दा.द.न.ई./उपा./जोन–8 की कार्यालय टिप्पणी के अनु. 32/एन पर पुष्ट है।

सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक वित्त, जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (समन्वय/प्रशासन/पूर्व/परिचम/एलपीसी), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त (समन्वय, जोन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), जविप्रा, जयपुर।
6. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।

सचिव

D:\VIJAY\...\Letter\Order.doc